म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/674/1134 भोपाल, दिनांक 22/07/2019

::परिपत्र::

आंचलिक संयुक्त संचालको तथा कार्यपालन यंत्रियों की माह जुलाई 2019 की मासिक संयुक्त समीक्षा बैठक में यह प्रकाश में आया है कि मंडी प्रांगण में अधोसंरचना विकास कार्यो की जानकारी आंचलिक संयुक्त संचालकों को नही होने से उनकी उपयोगिता का परिक्षण कर प्रस्तावित निर्माण की प्राथमिकता पर अभिमत दिया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा मंडी प्रांगण में अधोसंरचना विकास के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किये जाते है उस पर कार्यपालन यंत्री द्वारा आंचलिक संयुक्त संचालक की अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत ही तकनीकि स्वीकृति जारी की जायेगी। साथ ही निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते समय भी संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त औपचारिकता पूर्ण होना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

19/7/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/674/1135 भोपाल, दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/मुख्य अभियंता/संयुक्त संचालक/अधिक्षण यंत्री/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय........................ .... (समस्त)
4. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकि कार्यालय..........................मुख्यालय...... ....(समस्त)
5. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकि संभाग भोपाल संभाग–2 भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति ....जिला..........................म.प्र.।
7. आदेश नस्ती/....................................शाखा(समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

19/7/19

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल